## न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा

**पीठासीन अधिकारी :– अमिता बिश्नोई** आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 13/2025

हीरा देवी पत्नी लिच्छीराम जाति कुम्हार साकिन बड़ोपल तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।

प्रार्थी

बनाम

1. रखीया पत्नी कृष्णलाल जाति छीम्पा साकिन 2 एन.एम. ठाकरूवाला बड़ोपल तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़
2. विनोद पुत्र कृष्ण जाति छीम्पा साकिन 2 एन.एम. ठाकरूवाला बड़ोपल तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़
3. गायत्री पुत्री कृष्णलाल जाति छीम्पा साकिन 2 एन.एम. ठाकरूवाला बड़ोपल तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़
4. राणी पुत्री कृष्णलाल जाति छीम्पा साकिन 2 एन.एम. ठाकरूवाला बड़ोपल तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़
5. सुमन पुत्री कृष्णलाल जाति छीम्पा साकिन 2 एन.एम. ठाकरूवाला बड़ोपल तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
6. शकुंतला देवी पत्नी भवानीशंकर जाति छीम्पा साकिन 2 एन.एम. ठाकरूवाला बड़ोपल तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
7. शैलजा कुमारी पत्नी सुरेन्द्र कुमार जाति छीम्पा साकिन 2 एन.एम. ठाकरूवाला बड़ोपल तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ।
8. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) पीलीबंगा तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ ।

**<u>दावा अन्तर्गत धारा 251–क आर.टी.ए. बाबत घोषणा</u>**

**<u>–:: उपस्थित अभिभाषकगण ::–</u>**

| | |
|---|---|
| 1. श्री हीरालाल बिरथलिया | –प्रार्थी |
| 2. श्री हनुमान बिश्नोई | –अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 7 |
| 3. राजपैरोकार तहसीलदार पीलीबंगा | –अप्रार्थी संख्या 8 |

**<u>–:: निर्णय ::–</u>**

दिनांक :– 30-05-25

Signature Not Verified
Digitally signed by Amita Bishnoi
Date: 2025.06.09 17:45:00 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थना पत्र अधिवक्ता श्री हीरा[illegible] की ओर से अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया है प्राथ्र्ज्ञना पत्र संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कियह कि प्रार्थी[illegible] नाम से एकल खाता की खातेदारी कृषि भूमि वाके तहसी[illegible] पीलीबंगा के चक 2 एन[illegible] खाता सं. 69 के प.नं. 33/359 के किला नं. 3/1, 3/2, 4/1, 412, 5/1, 5/2, 6/1, 6/2, 7, 8, 13, 14, 15/1, 15/2, 16/1, 16/2, 17, 18, 23, 24, 25/1, 25/2 कुल 3.795 हैक. कमाण्ड अ.क. म.गै.मु. मुताबिक नकल जमाबन्दी सम्वत् 2073–76 दर्ज राजस्व रिकार्ड है। प्रमाणित प्रति जमाबन्दी संलग्न प्रार्थना पत्र है।

सहायक कलक्टर
जिला हनुमानगढ़

यह कि अप्रार्थीगण के नाम से संयुक्त खाता की खातेदारी कृषि भूमि वाके तहसील पीलीबंगा के चक 2 एन.एम. के खाता सं. 59 के प.नं. 33/359 के किला नं. 1/2, 1/3, 2/1, 2/2, 9, 10/2, 11/2, 12, 19, 2012, 21/2, 22 कुल 2.405 हैक. मे से अप्रार्थी सं. 1 ता 5 प्रत्येक का 1/15–1/15 हिस्सा, अप्रार्थी सं. 6 का 1/3 हिस्सा, अप्रार्थी सं. 7 का 1/3 हिस्सा मुताबिक नकल जमाबन्दी सम्वत् 2073–76 दर्ज राजस्व रिकार्ड है । प्रमाणित प्रति जमाबन्दी संलग्न प्रार्थना पत्र है।

यह कि अप्रार्थीगण की कृषि भूमि के पश्चिमी दिशा मे चक 2 एन. एम. के प.नं. 33/359 के किला नं. 1, 10, 11, 20, 21 मे 2–2 बिस्वा गै.मु. रास्ता स्वीकृत शुदा एवं वर्तमान मे चालू है और उक्त रास्ता से अप्रार्थीगण अपनी भूमि मे आवगमन करते है और अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थीया की कृषि भूमि के आवगमन हेतू अपनी भूमि के प.नं. 33/59 के किला नं. 1/3, 2/1 मे घरेलू रास्ता दे रखा है जो कि मौका पर चालू है। प्रार्थीया वृद्ध औरत है। प्रार्थीया उक्त घरेलू रास्ता से ही अपनी कृषि भूमि मे आवगमन व कृषि औजार इत्यादि लेकर जाती है। प्रार्थीया की कृषि भूमि को उक्त रास्ता के अलावा अन्य कोई सरल, नजदीक एवं रास्ता उपलब्ध नही है इसलिए प्रार्थीया की कृषि भूमि को अप्रार्थीगण के नाम से वर्णित कृषि भूमि चक 2 एन.एम. के प.नं. 33/59 के किला नं. 1/3/.014, 2/1/.0153 हैक. बैजानिव उत्तरी दिशा पूर्व से पश्चिम लम्बा रास्ता स्वीकृत किया जावे। उक्त रास्ता के एवज मे प्रार्थीया अप्रार्थीगण को डीएलसी दर से दौगुणी राशि देने के लिए तैयार एवं तत्पर है।

अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण के नाम से वर्णित कृषि भूमि चक 2 एन.एम. के प.नं. 33/59 के किला नं. 1/3/.014, 2/1/.0153 हैक. बैजानिव उत्तरी दिशा पूर्व से पश्चिम लम्बा रास्ता स्वीकृत किया जाकर राजस्व अभिलेख मे अंकन किये जाने के आदेश प्रदान करे। श्रीमान जी की अति कृपा होगी।

अप्रार्थी संख्या 1 ता 7 की ओर से श्री हनुमान भादू अधिवक्ता द्वारा वकालतनामा व जवाब प्रस्तुत किया गया शामिल पत्रावली है जवाब प्रार्थना पत्र इस प्रकार से है कि प्रार्थना पत्र कि दफा 1 को सिद्ध करने का भार प्रार्थीया पर है। प्रार्थना पत्र कि मद स. 2 स्वीकार है। प्रार्थना पत्र की मद स. 3 में वर्णित कृषी भूमि तह. पीलीबंगा के चक 2 एनएम के प. न. 33/359 के किला न. 1, 10, 11, 20,21 मे 2 –2 बिस्वा गैर मुनकिन रास्ता स्वीकृत शुदा व वर्तमान मे चालु होना स्वीकार है। और इस रास्ते से मिन प्रतिवादीगण 1 ता 7 अपनी कृषी भूमि में आवागमन करना भी स्वीकार है । परन्तु मिन प्रतिवादीगण द्वारा अपनी कृषी भूमि तह. पीलीबंगा के चक 2 एनएम के खाता 59 के प. न. 33/359 के किला न. 1/2, 1/3, 2/1, 2/2, 9, 10/2, 11/2, 12, 19, 20/2, 22 कि कुल 2.405 हैक्ट, मे से किला न0. 1/3, 2/1 मे घरेलु रास्ता देने का कथन और चालु होना अस्वीकार है। और ना ही किला न. 1/3, 2/1 मे से प्रार्थीया अपनी कुषी भूमी मे आवागमन व कृषी औजार इत्यादी लेकर जाती । प्रार्थीया अबादी भूमी मे से सीधे अपने खेत मे प्रवेश करती रही है। प्रार्थीया कि कृषी भूमी के चिपते ही आबादी भूमी है और आबादी भूमी के [illegible] से प्रार्थीया अपनी कृषी भूमि मे आना जाना करती थी जो प्रार्थीया के प[illegible] थी अब जो आबादी भूमि जिसके द्वारा अपने खेत मे आवगमन के लिए [illegible] के रास्ते कि भूमि का बैचान कर दीया है । ओर अब [illegible] व परेशान करने कि नियत से यह प्रार्थना पत्र पेश किया है। प्रार्थीया कि कृषी भूमि को [illegible]र्थीगण के नाम से वर्णित कृषी भुमी चक 2 एनएम के पव. न. स. 33/359 के किला 1/3/.014, 2/1/.015 हैक्ट. बेजानीव उतरी दिशा पूर्व से पश्चिम लम्बा रास्ता स्वीकृत किया जाता है तो मिन अप्रार्थीगण को कृषि भूमि का नुकसान होगा इसलिए मिन अप्रार्थीगण को कृषि भूमि का नुकसान ना हो इसलिए रास्ते की भूमि के बदले कृषि भूमि दिलवाई जावे और मिन अप्रार्थीगण को प्रार्थीया कि

Signature Not Verified
Digitally signed by Amita Bishnoi
Date: 2025.06.09 17:45:00 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
पीलीबंगा
जिला हनुमानगढ़

उक्त कृषी भूमि प. न. 33/359 के किला न. 3/1 मे 0.014 है. और किला न 8 मे 0.015 है. पश्चिम दिशा मिन अप्रार्थीगण कि कृषी भूमी कि चिपती हुई भूमी उक्त रास्ते कि एवज में प्रार्थीया से मिन अप्रार्थीगण को दिलवाई जाऐ।

प्रकरण में तहसीलदार पीलीबंगा से रिपोर्ट पत्रांक 377 दिनांक 01.05.25 से प्राप्त की गई है मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार अनुसार प्रार्थी द्वारा चाहा गया रास्ता मौके पर चालू नहीं है। प्रार्थी द्वारा चाहे गये रास्ते में आने वाली भूमि से सम्बन्धित खाते के गायत्री पुत्री कृष्णलाल के बजाय रखीया पुत्री कृष्णलाल को पक्षकार बनाया गया है। रखीया पुत्री कृष्णलाल खातेदार नहीं है। गायत्री पुत्री कृष्णलाल खातेदार है। प्रार्थी द्वारा चाहे गये रास्ते के अलावा उस भूमि में पूर्व में भी कोई स्वीकृतशुद्धा रास्ता नहीं लगता हैं। प्रार्थी द्वारा चाहा गया रास्ता ही कम दूरी का रास्ता हैं प्रार्थी द्वारा चाहे गये रास्ते के अलावा लु अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता मौके पर चालू नहीं है।

## आदेश

बहस अधिवक्ता उभय पक्ष सुनि गई। अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र तहसीलदार रिपोर्ट अनुसार स्वीकृत करने पर सहमती व्यक्त की गई। अधिवक्ता अप्रार्थीगण द्वारा बहस में रास्ता के एवज में भूमि के बदले भूमि देने पर रास्ता स्वीकृति हेतु सहमति व्यक्त की है। प्रस्तुत दस्तावेजों का अध्यन किया गया। हमारे स्वयम् के द्वारा मौका निरिक्षण किया गया। तहसीलदार रिपोर्ट अनुसार चुंकि प्रार्थी द्वारा चाहे गये रास्ते के अलावा उस भूमि में पूर्व में भी कोई स्वीकृतशुद्धा रास्ता नहीं लगता हैं। प्रार्थी द्वारा चाहा गया रास्ता ही कम दूरी का रास्ता हैं प्रार्थी द्वारा चाहे गये रास्ते के अलावा लु अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता मौके पर चालू नहीं है। इसलिए प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है जिसके तहत राजस्व काश्तकारी अधिनियम की धारा 251–क के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकृत कर ओदश किया जाता है कि चक 2 एन.एम. के प.नं. 33/59 के किला नं. 1/3/.014, 2/1/.0153 हैक. बैजानिव उत्तरी दिशा पूर्व से पश्चिम लम्बा रास्ता स्वीकृत किया चुंकि अप्रार्थी अधिवक्ता द्वारा रास्ता के एवज में भूमि के बदले भूमि हेतु सहमती व्यक्त की है इस लिए अप्रार्थीगण को प्रतिकर के रूप में इसी चक के प. न. 33/359 के किला न. 3/1 मे 0.014 है. और किला न 8 मे 0.015 है. पश्चिम दिशा अप्रार्थीगण के नाम दर्ज की जावे।

आदेशों की पालना में तहसीलदार पीलीबंगा किसी प्रकार का स्थगन या वाद नहीं होने की दशा में उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करे।

पत्रावली निर्णय शुमार होकर [illegible] हो। आदेश को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में दिनांक 30-05-2[illegible] सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Amita Bishnoi
Date: 2025.06.09 17:45:00 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, पीलीबंगा

(अमिता बिश्नोई)
उपखण्ड अधिकारी एवम
पदेन सहायक कलक्टर
पीलीबंगा

सहायक कलक्टर
पीलीबंगा